भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1969
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

सीमांचल में जनजातियों के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार

† 1969. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र, विशेषकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में जनजातीय बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए विशेष उपाय किए गए हैं;
(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सीमांचल के जनजातीय छात्रों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सीमांचल में छात्रवृत्ति वितरण, आधार सत्यापन या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में विलंब या अंतराल के कारण जनजातीय छात्र प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो उक्त मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) सीमांचल के लिए स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थिति क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का सीमांचल में जनजातीय बच्चों के शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त छात्रावास, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, ब्रिज कोर्स, डिजिटल अधिगम सहायता या सामुदायिक शिक्षा पहल शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय बिहार के सीमांचल क्षेत्र सहित पूरे देश में जनजातीय समुदायों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक और अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
iv) अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं में से, क्रम संख्या (i) से (ii) तक की छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। मैट्रिक-पूर्व और

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना दोनों ही खुली (ओपन एंडेड) योजनाएं हैं, जिसमें उन सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का संवितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति की जांच करने के बाद केंद्रीय हिस्से की निधियां जारी करता है। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन डीबीटी मोड के माध्यम से सभी पात्र अजजा छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का वितरण करते हैं।

क्रम संख्या (iii) से (v) तक की योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। इन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत स्लॉट और निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है। अजजा छात्रों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के तहत, निधियां सीधे छात्रों/संस्थानों को डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती हैं, जबकि अजजा छात्रों के लिए क्रम संख्या (v) की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाएं विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से लागू की जाती हैं, निधियां दूतावासों के माध्यम से विदेशों में पढ़ रहे अजजा छात्रों को जारी की जाती हैं, इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को निधियों की प्रतिपूर्ति करता है।

साथ ही, जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना है, जो इस मंत्रालय की डीएजेजीयूए योजना के तहत उपायों में से एक है। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) के अभिसरण में क्रियान्वित की गई है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र सहित डीएजेजीयूए के तहत छात्रावासों के कार्यान्वयन की स्थिति (08.12.2025 तक) इस प्रकार है:

आंकड़े संख्या में

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृति	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन	वर्तमान स्थिति
1	बिहार	19	19	पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

(ख) बिहार राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सीमांचल क्षेत्र के जनजातीय छात्रों की जिले-वार संख्या का विवरण इस प्रकार हैः -

क्र.सं.	जिला	योजना का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	किशनगंज	मैट्रिक-पूर्व	438	236	296
		मैट्रिकोत्तर	11	6	प्रक्रिया में
2	अररिया	मैट्रिक-पूर्व	235	92	212
		मैट्रिकोत्तर	38	13	प्रक्रिया में
3	पूर्णिया	मैट्रिक-पूर्व	1381	452	904
		मैट्रिकोत्तर	210	67	प्रक्रिया में
4	कटिहार	मैट्रिक-पूर्व	993	442	870
		मैट्रिकोत्तर	235	95	प्रक्रिया में

(ग) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत, छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हर साल 30 सितंबर तक उपस्थिति के आधार पर तुरंत किया जाता है। आधार प्रमाणीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कारण योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और इसमें देरी की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत, आवेदनों को संबंधित संस्थान के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा कई स्तरों पर सत्यापित किया जाता है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। इसके बाद, छात्रवृत्ति राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से तुरंत छात्रों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(घ) 2018-19 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे। बिहार के सीमांचल क्षेत्र, विशेष रूप से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में कोई भी ब्लॉक ईएमआरएस को मंजूरी देने के लिए आवश्यक दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(ङ) वर्तमान में इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, इस मंत्रालय की डीएजेजीयूए योजना के तहत, राज्य सरकार छात्रावास के लिए सहायता अनुदान पर विचार करने की सिफारिश कर सकती है। मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के अनुमोदन के बाद निधि जारी की जाती है।

साथ ही, सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनूसूचित जनजाति वाली आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को कम करने (पाटने) और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास हेतु हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित करने का अधिदेश दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए डीएपीएसटी निधियों का मंत्रालय-वार और योजना-वार ब्यौरा केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख के लिंक https://www.indiabudget.gov.in/budget 2024-25/doc/eb/stat10b.pdf में देखा जा सकता है।

*****